केकड़ी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

163/2021/225 अब्दुल गफार बनाम अब्दुल रहमान

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री मुकेश जैन बी.पी. श्री	

5.8.21

अब्दुल गफार बनाम अब्दुल रहमान वगैरह

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.08.2021 को सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक तरफर में आदेश पारिज किये है। जिसकी जानकारी हाल ही में गाँव में पटवारी हल्का द्वारा बताने हुई किन्तु कोविड–19 महामारी एवं लोकलाउन के कारण प्रार्थी उक्त अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर सका। मान्नीय उच्चतम न्यांयालय ने कोराने महामारी के कारण सभी प्रकरणों की मियाद को स्वतः कण्डोन किये जाने के आदेश पारित किये है जो आज दिवस तक प्रभावी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। हम न्यायहित में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में देरी के कारण संतोषप्रद होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार अपील को अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश देना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के अपीलांटस 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार रेस्पोडेन्टस दर्ज रेकार्ड चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात पर सभी सहखातेदार काफी वर्ष पूर्व से मनबट से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट की आराजीयात जो कि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मौके पर सभी खातेदार आपस में बंटवारा कर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट की 1/2 हिस्से बाबत् ना तो राजस्व रेकार्ड एवं ना ही मौके पर रेस्पोडेन्ट से कोई विवाद है। रेस्पोडेन्टस का आपस में शेष 1/2 हिस्से बाबत् विवाद है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् स्थगन आदेश जारी कर अपीलांट को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 03.12.2020 की पालना एवं प्रभाव को अपीलांट के 1/2 हिस्से तक स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में ए.आई.आर.2000 सप्रीम कोर्ट पेज 3032 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 के विरूद्ध लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मुकेश जैन / डी.पी. चौधरी	

प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है तथा अप्रार्थीगण/अपीलांट ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। प्रकरण में केवल अप्रार्थी संख्या 03, अप्रार्थी संख्या 9,10 की तलबी होनी शेष है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अन्तरिम आदेश होने से किसी प्रकार का अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं समझते है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। इसलिए प्रथम दृष्टया हम अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करना उचित नहीं समझते हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे शेष अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से तामीली करवाकर प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर